जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 04.08.2022

थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा थाने का हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल व अवैध हथियार बरामद।

आज दिनांक 04 .08.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/हिस्ट्रशीटर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा थाने का हिस्ट्रीशीटर को चोरी के मोबाइल एवं अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि आज दिनांक 04.08.2022 को वादी श्री मुस्तकीम पुत्र लतीफ निवासी ग्राम गढीअब्दुल्ला खां द्वारा उनके घर से अभियुक्त शाहनवाज द्वारा मोबाइल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की थी। जिसके आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- शाहनवाज उर्फ रज्जू पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम गढी अब्दुल्ला खां थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मु0अ0स0 152/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2.मु0अ0स0 16/21 धारा 392, 411, 34 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
3.मु0अ0स0 17/21 धारा 3/5(1)/27 आयुध अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
4.मु0अ0स0 94/22 धारा 380, 457, 504, 411 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी का मोबाइल (सेमसंग कम्पनी)। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 94/22)
2. अवैध चाकू 01।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2.का0 निर्देश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
3.का0 निशान्त कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना झिंझाना / जनपद की मॉनिटरिंग सेल /अभियोजन सेल द्वारा चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 01 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदंड से भी दंडित-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 को अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र रतिभान निवासी ग्राम अहमदगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 430/2021 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की थी। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना झिंझाना/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष कारावास की सजा एवं 2000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदंड न देने पर 20 दिन अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.हरेन्द्र पुत्र रतिभान निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली ।